न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 20/2023

प्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
लादा पुत्र मना जी, जाति–मेघवाल, निवासी–जीरावल, तह. रेवदर, जिला–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः
1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 27 मार्च, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 344/2 रकबा 3–04 बीघा किस्म बा–1 भूमि का अप्रार्थी को वर्ष 1994 में कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि रकबा 3–04 बीघा का मौके पर आवंटिती को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 739 से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 344/2 रकबा 3–04 बीघा किस्म बा–1 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटिती/अप्रार्थी को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। अप्रार्थी/आवंटिती ने आवंटन का शर्तो का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी/आवंटिती को उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

किया जावे। जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अप्रार्थीया के जवाब एवं विधिक दृष्टान्त 2017 RBJ Page 31-35, RBJ(8) 2001 Page 125-129 & 593-595, RBJ (13) 2006 Page 216-222, RBJ (13) 2006 Page 11-15, 2020 RBJ 648-650, RBJ 2020 Page 765-768 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 344/2 रकबा 3–04 बीघा किस्म बा–1 भूमि का विधि अनुसार आवंटन किया जाकर विधि अनुसार कब्जा सुपर्द किया गया था, तब से अप्रार्थी, उक्त आवंटित भूमि खसरा संख्या 344/2 रकबा 3–04 बीघा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर अप्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थी ने उक्त आवंटित भूमि में काफी रकम खर्च कर काश्त योग्य उपजाउ बनाया है। उक्त आंवटित भूमि पर बरसाती खेती की जाती है एवं विगत कुछ वर्षो में बारीश कम होने की वजह से उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही हो पाई है। खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज करने का दायित्व पटवारी हल्का का है। यदि पटवारी द्वारा काश्त दर्ज नही की गई है तो इस करण से आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। आवंटन नियमों के तहत आवंटन के 03 वर्ष बाद आवंटी स्वतः ही आवंटित भूमि का खातेदार बन जाता है। अप्रार्थी ने उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी का नामान्तरकरण दायर करने हेतु कई बार निवेदन किया, लेकिन प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज नही की गई। यह कि अप्रार्थी, गरीब भूमिहीन काश्तकार है, जिसके पास उक्त आवंटित भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। अप्रार्थी को उक्त भूमि का वर्ष 1994 में आवंटन हुआ था एवं उक्त भूमि का आवंटन हुए 30 वर्ष से अधिक समय हो गया है एवं आवंटित भूमि में अप्रार्थी के समस्त हक अधिकार निहित हो गये है। आवंटन के इतने वर्षो की लम्बी अवधि के बाद आवंटन को कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं उक्त आवंटित भूमि के अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 344/2 रकबा 3–04 बीघा किस्म बा–1 भूमि का उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांकःराजस्व/94/1402 दिनांक 15.10.1994 के द्वारा अप्रार्थी लादा पुत्र मना जी, जाति– मेघवाल, निवासी– जीरावल को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था एवं उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी/आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 04.1.1995 के द्वारा आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि "आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है।" प्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि "अप्रार्थी/आवंटिती ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है।"

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नही रहा है एवं वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नही है। इस प्रकार, आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थी सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 344/2 रकबा 3–04 बीघा किस्म बा.1 भूमि का अप्रार्थी लादा पुत्र मना जी, जाति– मेघवाल, निवासी– जीरावल को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही